रजि. नं. एल. डब्लू./एन.पी. 890
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 जुलाई, 1999

आषाढ़, 28 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1476/सत्रह-वि-1-1(क) 27/1999

लखनऊ, 19 जुलाई, 1999

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1999 पर दिनांक 18 जुलाई, 1999 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1999 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1999

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1999)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 1999 कहा जायगा।

(2) यह 27 जून, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 25 और 25-क का प्रतिस्थापन

2—संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947, की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 25 और 25-क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

कर्मचारिवर्ग

"25 (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध, किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम, नियम, विनियम, या उस विधि में या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे किसी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग को, जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हों, ऐसे पदनाम से जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, ग्राम पंचायतों के अधीन सेवा करने के लिए स्थानान्तरित कर सकती है और तदुपरान्त ऐसे कर्मचारी या कर्मचारियों की तैनाती किसी जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से की जायगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय।

(ख) किसी ग्राम पंचायत में इस प्रकार स्थानान्तरित और तैनात किये जाने पर कर्मचारी या कर्मचारीगण उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, और सेवा निवृत्ति लाभों और अन्य विषयों के संबंध में, जिसमें पदोन्नति को सम्मिलित है, उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे स्थानान्तरण के ठीक पूर्व उन पर प्रयोज्य होते, ग्राम पंचायत के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सेवा करेंगे और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायं।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुये कोई ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के पश्चात्, समय-समय पर ऐसे कर्मचारियों, को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, नियुक्त कर सकती है :

प्रतिबंध यह है कि ग्राम पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पद को सृजित नहीं करेगी।

(3) ग्राम पंचायत को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जैसी नियत की जाय, उपधारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का दण्ड अधिरोपित करने की शक्ति होगी।

(4) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुये जिन्हें नियत किया जाय, ग्राम पंचायत उप धारा (2) के अधीन नियुक्त कर्मचारियों पर किसी लघुदण्ड को अधिरोपित करने की शक्ति प्रधान को या अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित कर सकती है।

(5) उप धारा (3) के अधीन किसी कर्मचारी पर कोई दण्ड अधिरोपित करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे अधिकारी या समिति को होगी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(6) नियत प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियत की जायं, उप धारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को एक ग्राम पंचायत से उसी जिले की दूसरी ग्राम पंचायत को स्थानान्तरित कर सकता है और राज्य सरकार, या ऐसा अन्य अधिकारी जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय, इसी प्रकार किसी ऐसे कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित कर सकता है।

(7) न्याय पंचायत, नियत प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारिवर्ग में नियत रीति से नियुक्त कर सकती है इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियत प्राधिकारी के प्रशासकीय नियन्त्रण में रहेगा जिसको उसे स्थानान्तरित करने, दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवा-मुक्त करने या पदच्युत करने की शक्ति होगी।

(8) उपधारा (7) के अधीन किसी व्यक्ति को दण्ड देने, निलम्बित करने, सेवामुक्त करने, या पदच्युत करने वाले नियत प्राधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी को होगी।

सेक्रेटरी

25-क—राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाय, धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में, या उपधारा (2) में, निर्दिष्ट कर्मचारियों में से एक सेक्रेटरी नियुक्त करेगा जो ऐसी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों, संबंधित ग्राम सभाओं और न्याय पंचायतों, जिसकी प्रादेशिक सीमाओं के भीतर ऐसी ग्राम पंचायतें स्थित हों, के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगा, और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा, या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सशक्त करे, विनिर्दिष्ट किए जायं।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1999

निरसन और व्यावृत्ति

3 (1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1476 (2)/XVII-V-1—1(KA) 27-1999
Dated Lucknow, July 19, 1999

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 1999 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1999) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1999.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 1999

(U. P. ACT No. 27 OF 1999)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fiftieth Year of Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 1999.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 27, 1999.

Substitution of sections 25 and 25-A of U. P. Act no. 26 of 1947

2. *For* sections 25 and 25-A of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:—

Staff

"25. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any Uttar Pradesh Act, rules, regulations, or bye-laws or in any judgement, decree or order of any court,—

(*a*) the State Government may, by general or special order, transfer any employee or class of employees serving in connection with the affairs of the State to serve under Gram Panchayats with such designation as may be specified in the order and thereupon posting of such employee or employees in Gram Panchayats of a district shall be made by such authority in such manner as may be notified by the State Government.

(b) the employee or employees on being so transferred and posted in a Gram Panchayat, shall serve under the supervision and control of the Gram Panchayat on the same terms and conditions and with the same rights and privileges as to retirement benefits and other matters including promotion as would have been applicable to him immediately before such transfer and shall perform such duties as may be specified from time to time by the State Government.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), a Gram Panchayat may, after prior approval of the prescribed authority, appoint from time to time such employee as may be considered necessary for efficient discharge of its functions under this Act in accordance with such procedure as may be prescribed:

Provided that the Gram Panchayat shall not create any post except with the previous approval of the prescribed authority.

(3) The Gram Panchayat shall have power to impose punishment of any description upon the employees appointed under sub-section (2) subject to such conditions and restrictions and in accordance with such procedure as may be prescribed.

(4) The Gram Panchayat may delegate to the Pradhan or to any of its Committees, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the power to impose any minor punishment upon the employees appointed under sub-section (2).

(5) An appeal from an order imposing any punishment on an employee under sub-section (3) shall lie to such officer or committee as may be specified by the State Government by notification.

(6) The prescribed authority may, subject to such conditions as may be prescribed, transfer any employee referred to in clause (b) of sub-section (1) from one Gram Panchayat to any other Gram Panchayat within the same district and the State Government or such other officer as may be empowered in this behalf by the State Government may similarly transfer any such employee from one district to another.

(7) A Nyaya Panchayat may, with the previous approval of the prescribed authority, appoint any person on its staff in the manner prescribed. The person so appointed shall be under the administrative control of the prescribed authority who shall have power to transfer, punish, suspend, discharge or dismiss him.

(8) Appeal shall lie from an order of the prescribed authority punishing, suspending, discharging or dismissing a person under sub-section (7) to an authority appointed in this behalf by the State Government.

Secretary

"25-A The State Government, or such officer or authority as may be empowered by it in this behalf shall appoint a Secretary from amongst the employees referred in clause (b) of sub-section (1) or sub-section (2) of section 25, who shall act as secretary of such Gram Panchayat or Gram Panchayats, the Gram Sabhas concerned and the Nyaya Panchayats within whose territorial limits such Gram Panchayats are situated and perform such other duties as may be specified by the State Government or such officer or authority as may be empowered in this behalf by the State Government."

Repeal and savings

U.P. Ordinance no. 14 of 1999

3. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 74 सा० विधा०--(737)--1999--350 (मैक०)।